


11/11/19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली न  
द्वारा दिनांक 12/9/17 से आदिनोंक तक  
पालना सुनिश्चित नहीं की गई है अब  
वकील वादी का अंतिम अवसर दिया जाएगा  
पालना पेश नहीं होने पर C.P.C के नियमों  
के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। पत्रावली  
दिनांक 13/12/19 का पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

13/12/19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी  
वकील द्वारा दिनांक ~~13/12/19~~ <sup>21/4/15</sup> से आदिनोंक  
तक प्रतिवादी से 13 क्षीप्रति सुभा वंवर  
की मृत्यु के संबंध में प्रतिवादी द्वारा  
अवगत कराये जाने के उपरान्त भी  
आ दिनांक तक रजिस्ट्रार न्यायालय  
में पेश नहीं की है एवं न ही

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उति काही सं० 13 के काठ मुठ की खचन  
पेश की है। जबकि प्रतिवादी वकील  
के अवगत कराये जाने के बाद निम्न  
समय 30 दिन में काठ मुठ की खचन  
पेश करनी होती है। अतः प्रकरण  
को NON compliance में खारीज  
दिखा जाता है। वकील वादी द्वारा  
न्यायालय के आदेशों की पालना  
नहीं करने से बाद NON compliance  
में खारीज दिखा जाता है। निर्णय  
स्प्रेडजलास सुनाया गया। पत्रावली  
के लल शुभार होकर नम्बर तैकर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

